



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकारसे प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1199 = नई दिल्ली, शक्रवार, नवम्बर 18, 2005/कार्तिक 27, 1927

No. 1199 = NEW DELHI FRIDAY, NOVEMBER 18, 2005/KARTIKA 27, 1927

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2005

का.आ. 1623(अ).—केन्द्रीय सरकार, माल के भौगोलिक उपदेशन (रजिस्ट्रिकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 के

धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विनिर्दिष्ट करती है कि आखिल भारतीय अधिकारिता के प्राध

उपदेशन रजिस्ट्री का मुख्यालय अधिसूचना सं. का.आ. 1052(अ) तारीख 15 सितम्बर, 2003 द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) द्वारा प्रवृत्त यक्षा अधिसूचित 434, गुना कॉम्प्लेक्स, तेन्नमैड, अन्नासलाई, चेन्नई-600018 के

बौद्धिक संपदा कार्यालय, भवन नई इन्डियन इस्टेट, सिडको आरएम.डी. गेट, गुडुम परिया, जी.एस.टी. रोड, गुडुम, चेन्नई-600032 में

[फा. सं. 9/3/2003-आइ.पी.आर.]

एन.एन. प्रसाद, सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2005

S.O. 1623(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 5 of the Geographical

Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 (48 of 1999), the Central Government hereby specifies that the

office of the Geographical Indications Registry, with an all India jurisdiction, shall be at Intellectual Property Office B

Industrial Estate, SIDCO RMD Godown Area, G.S.T. Road, Guindy, Chennai-600032 instead of 434, Guna Complex, Tey

Annasalai, Chennai-600018 as earlier notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and In

(Department of Industrial Policy and Promotion), vide Notification number S.O. 1052(E) dated the 15th September,

[F. No. 9/3/2003]

N. N. PRASAD,